राजस्थान सरकार वन विभाग
कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, जैसलमेर

क्रमांकः एफ ( )कार्मिक/उवसंवजीजै/2023–24/4415 दिनांकः 18/12/2023

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की अनुशंषा के आधार पर वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 के अंतिम परिणाम के अनुसार एवं राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के अनुसरण में निम्नांकित चयनित अभ्यर्थी को वनरक्षक के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्रों तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर नियुक्त किये जाने के आदेश एतद्द्वारा जारी किये जाते हैः–

क्र. सं.	रोल नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	अभ्यर्थी की मूल श्रेणी/वर्ग	वर्ग जिसके विरूद्ध चयन हुआ	अभ्यर्थी की स्केन फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2517860	शंकर सिंह	धन सिंह राजपुरोहित	07.11.1998	GEN	GEN	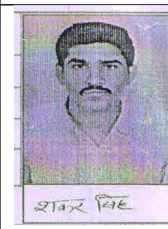
2	3346322	मनीष	धन्ना राम	01.03.1999	OBC	GEN	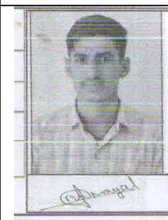
3	3353828	लक्ष्मण सारण	चूना राम	06.07.2001	OBC	GEN	
4	2617956	सांवर लाल	छोला राम	23.11.2001	OBC	GEN	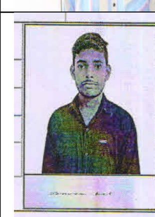
5	2225517	पदमा राम	पूनमा राम	20.12.1997	OBC	GEN	

Signature Not Verified

RajKaj Ref 5196753

Digitally signed by Ashish Vyas
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.18 15:31:42 IST
Reason: Approved

6	2634335	सागर विश्नोई	छोटू राम	08.12.1997	OBC	GEN	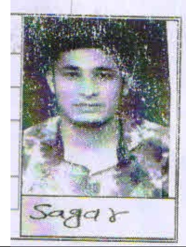
7	2095570	प्रमोद कुमार	पदमाराम	02.07.1997	OBC	GEN	
8	1278631	अजयपाल सिंह	आशू सिंह	10.10.1998	GEN-EWS	GEN-EWS	
9	3148000	जितेन्द्र सिंह	मेघराज सिंह राजपुरोहित	05.05.1998	GEN-EWS	GEN-EWS	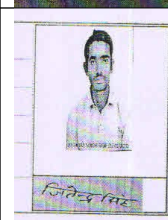
10	3340026	महेश कुमार	मघा राम	28.07.1997	SC	SC	
11	3344023	मग सिंह	गणपत सिंह	16.05.2003	GEN-EWS	GEN-EWS	
12	2524512	विक्रम	गंगाराम	01.12.2001	SC	SC	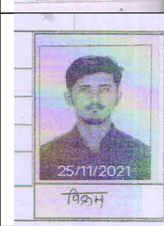
13	2091760	प्रिया	पूनम चंद	05.09.1997	OBC	GEN	

RajKaj Ref
5196753

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashish Vyas
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.18 15:31:42 IST
Reason: Approved

14	3131755	इन्द्रा चौधरी	मगाराम	01.07.2001	OBC	GEN	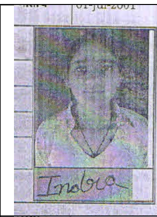
15	2509697	सुमन चाखर	राम प्रकाश	01.07.1999	OBC	GEN	
16	3331956	ललिता	बलदेव राम	11.07.1999	OBC	GEN	
17	1291334	घमू देवी	मघाराम	08.05.2002	OBC	GEN	
18	1293650	अशोक कुमार	कबीरा राम	15.06.1998	SC	SC	
19	2631344	संजय कुमार	देउ राम	20.11.1991	SC	SC	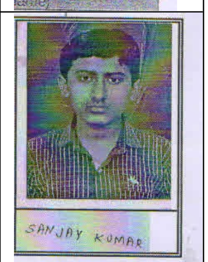
20	3137476	कौशल्या	प्रेमसुख	05.02.2001	OBC	GEN	
21	3343553	लीला राम	टिकमा राम	11.01.1993	SC	SC	

RajKaj Ref
5196753

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashish Vyas
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.18 15:31:42 IST
Reason: Approved

22	3126188	कोज राज जयपाल	रेवताराम जयपाल	15.03.1998	SC	SC	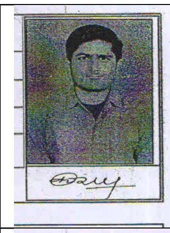
23	2202286	रमेश कुमार	चौथा राम	02.07.1996	SC	SC	
24	2092492	प्रियंका	रूपा राम	15.07.1997	OBC	OBC	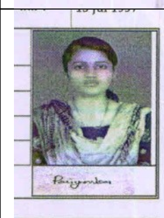
25	2088458	रेखा राम	मगा राम	04.01.1998	SC	SC	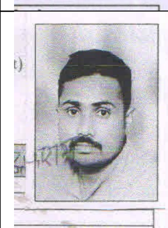
26	2511614	सुनीता चौधरी	माधव राम चौधरी	06.03.1990	OBC	OBC	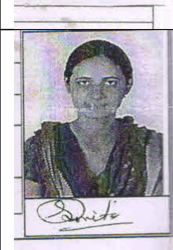
27	2522173	तना राम	जगा राम	06.10.1997	SC	SC	
28	2507011	रूघा राम	पूंजा राम	06.06.1995	SC	SC	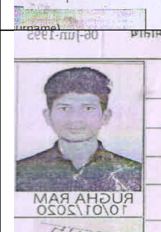
29	3126541	कोजा राम	रूघनाथ राम	05.12.1993	SC	SC	

RajKaj Ref
5196753

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashish Vyas
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.18 15:31:42 IST
Reason: Approved

30	2100801	नरपत राम	हरखा राम	03.03.1997	SC	SC	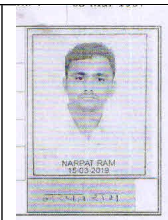

उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अध्यधीन जारी की जा रही हैः—

01. उक्त नियुक्ति आदेश वनरक्षक के पद पर राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के अंतर्गत जारी किया गया है। यह नियुक्ति उपरोक्त सेवा नियमों में अधिकारित निमन्धनों एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन की गई है।
02. नवनियुक्त अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 01.01.2024 तक वनरक्षक के पद पर कार्यग्रहण करने के संबंध में अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने पर आपका नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जाकर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
03. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, वनरक्षक के पदपर कार्यभार ग्रहण/उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से मान्य होगी।
04. नवनियुक्त परिवीक्षाधीन वनरक्षक को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, पं. 14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा।
05. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix pay) पर कार्य करने की सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 16 व परिशिष्ठ 4 दिनांक 30.10.2017 के अंतर्गत नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।
06. परिवीक्षाकाल (Probationer-Trainee) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
07. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रभावी प्रावधानों अनुसार देय होंगे।
08. नवनियुक्त वनरक्षकों को देय पेंशन योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी प्रभावी प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये/जाने वाले हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
09. उक्त नियुक्ति के आदेश में अभ्यर्थी की जन्मतिथि वही है, जो आपने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया हैं।
10. नव नियुक्त वनरक्षक को विभाग द्वारा यथासमय सूचित किये जाने पर 3 माह का आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस क्रम में नवनियुक्त वनरक्षक पर राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में विहित प्रशिक्षण संबंधी प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू होंगे।
11. यदि राज्य सरकार/विभाग की राय में आपका कार्य या आचरण परीविक्षा अवधि/प्रशिक्षण अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाया जाता है अथवा यह प्रतीत होता है कि इनमें एक दक्ष वनरक्षक होने की क्षमता नहीं है, तो विभाग (राज्य सरकार) इन्हें सेवा से तुरळम्छ विमुक्त कर सकेगी।
12. दो वर्ष की परीविक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही अभ्यर्थी का नियमितिकरण एवं वेतन निर्धारण वनरक्षक के पद पर पे—मैट्रिक्स लेवल संख्या —4 में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
13. नवनियुक्त वनरक्षकों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 42 के अनुरूप होगा।
14. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही अन्य नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे, परळम्छु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. अभ्यथी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50 रू नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाऐं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी की सेवाऐं समाप्त की जा सकेंगी एवं पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेंगी।
16. चयनित अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
17. वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक प.2(2) वित्त (नियम)/2021 पार्ट दिनांक 25.02.2022 [illegible] 2022 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती की जायेगी।
18. वित्त (बीमा) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5 (5) FD/INSGENANCE/2020 दिनांक 09.04[illegible] के अनुसार आर जी एच एस योजना लागू होगी।

RajKaj Ref
5196753

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashish Vyas
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.18 15:31:42 IST
Reason: Approved

19. उक्त नियुक्ति, राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/नियम/परिपत्रों के अध्ययधीन होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/नियम/परिपत्र भी लागू होंगे।
20. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 7(13)कार्मिक/क–2/23 दिनांक 11.05.2023 के निर्देशों अनुरूप शपथ प्रस्तुत करना होगा।,
21. वनरक्षक के पद पर नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्त के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे सदत्त की गई परिलब्धियों की नियमानुसार निर्धारित राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की नियमानुसार निर्धारित राशि सरकार को प्रति सदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में सदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
22. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 में अंकित पुलिस सत्यापन निर्देशों की पालना में नियुक्ति आदेश पूर्णतः प्रोविजनल जारी किये जाते है। उक्त नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी होने वाली सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेंगी। यदि अभ्यथी के पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित अभ्युक्ति होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त माना जा कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय में पद ग्रहण हेतु दी जाने वाली उपस्थिति के समय उपस्थिति रिपोर्ट के साथ पुलिस द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र एवं सक्षम चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा। चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये नियुक्तियां प्रोविजनल रहेंगी।
23. अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन या अन्य कोई दस्तावेज शेष हैं, वे कार्यग्रहण करने से पूर्व उक्त दस्तावेज इस कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।
24. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 के संदर्भ में शपथ–पत्र के रूप में "Self declaration" प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इसके साथ ही अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।
25. सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
26. नियुक्त किये गये विवाहित अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने से पूर्व विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, अपनी जीवित संतानों की सूचना का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा। विवाहित/अविवाहित दोनों स्थिति में दहेज न लेने संबंधी घोषणा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय समय में धूम्रपान/गुटखा नहीं खाने का/मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने का आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
27. दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगें, परळम्छु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान उत्पन्न हुई हैं, तो ऐसी संतानों को एक इकाई ही माना जावेगा।
28. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों (जो अभ्यर्थी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करने होंगे) की जांच/प्रमाणीकरण के अध्यधीन रहेंगी। (दो सेट छायाप्रति सहित।)
29. नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर इस वनमण्डल में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा निर्धारित अवधि या कार्यग्रहण हेतु अनुमत विस्तार अवधि में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यथी उक्त नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा।

(डॉ आशीष व्यास)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव, जैसलमेर

क्रमांकः एफ ( )कार्मिक/उवसंवजीजै/2023–24/4416–4449 दिनांकः 18/12/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक 6728–6809 दिनांक 13.12.2023 के क्रम में।
2. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर।
4. सम्बन्धित श्री ....।
5. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5196753

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashish Vyas
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.18 15:31:42 IST
Reason: Approved

उप वन संरक्षक
वन्यजीव, जैसलमेर